

तारीख
जो इस
तामील
सी हुए



रीडर
यह दावा/प्रार्थना पत्र वादील श्री....
गोपनीय है। अतः प्रत्येक की
पेश किया गया है। अतः प्रत्येक की
जांच कर रिपोर्ट पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ़

राजस्व वाद संख्या 7 / 2019

27/3/19.

अ. द.

16.5-19.

1. अनिल पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री बोदू जाति रावत आयु 13 वर्ष निवासी ग्राम ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)
2. अशोक पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री बोदू जाति रावत आयु 13 वर्ष नाबालिग जरिये भ्राता अनिल पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण रावत निवासी ग्राम ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)
3. कुमारी सुमन पुत्री पुत्री स्व. श्री लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री बोदू जाति रावत आयु 13 वर्ष नाबालिग जरिये भ्राता अनिल पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण रावत निवासी ग्राम ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)

.... वादीगण

बनाम

1. रेखा पुत्री स्व. श्री हीरा जाति रावत आयु 17 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका दादी मु. सेजा पत्नि स्व. श्री बोदू रावत आयु 70 वर्ष निवासी देवडूंगरी, मदनगंज-किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.
2. मु. सेजा पत्नि स्व. श्री बोदू जाति रावत आयु 70 वर्ष निवासी देवडूंगरी, मदनगंज-किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
3. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, किशनगढ़
4. श्रीमान् तहसीलदार साहब, किशनगढ़

.... प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी

सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

महोदय,

वादीगण की ओर से निवेदन है :-

1. यह कि प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 14.3.2018 को न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था।

भविष्य,

शह जर्मन पत्र जर्मन
की ओर से करीम गोविन्ददास
पुरेडीर द्वारा 0 9 R T CPL
सदस्यता धारा 151 CPL-नियम
विषय जाय डिजिटल बिजु नगर इस
उत्तर है

1. - शह जर्मन पत्र न्यायालय - 6
होनाचरोड क्षेत्र में है
2. - जर्मन पत्र के साथ जर्मन न्याय
गोविन्ददास पुरेडीर का शपथ
पत्र लगाता है
3. - जर्मन पत्र के साथ कई
तलचनग सम्पत्ति लगाता है
4. - अतिरिक्त डि 14.3.18 की
उपस्थिति की समाप्त के उच्च
जर्मन पत्र समय अनर्दिष्ट है
क्या है

अतः प्रत्यक्ष जर्मन पत्र
अतिरिक्त जर्मन

Issue notice SD/88
21.3.19

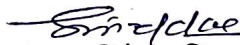
2. यह कि दिनांक 6.12.2017 को वादीगण के अधिवक्ता के एक दुर्घटना में चोटग्रस्त हो जाने से उनका बांया पैर गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था इस कारण वादीगण के अधिवक्ता अपने ऑपरेशन तथा अति आवश्यक ईलाज के चलते तकरीबन 4 माह तक न्यायालय के कार्य संभालने में असमर्थ रहे इस कारण वादीगण के अधिवक्ता प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 14.3.2018 को न्यायालय में अपने पक्षकार की पैरवी करने हेतु उपस्थित नहीं हो पाये तथा ना ही किसी अन्य अधिवक्ता को प्रतिनिधित्व पत्र दे पाये जिस कारण दिनांक 14.3.2018 को वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में न्यायालय श्रीमान् द्वारा खारिज फरमा दिया गया।
3. यह कि वादीगण के अधिवक्ता जब दिनांक 7.2.2019 को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष दुर्घटना उपरान्त प्रथम बार उपस्थित हुए तब उन्हें वाद के अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 14.3.2018 को खारिज होने की जानकारी हुई।
4. यह कि अधिवक्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान् की आज्ञा का उल्लंघन करने की कतई मंशा नहीं थी। यह अनुपस्थिति दुर्घटनावश प्राकृतिक कारण से हुई थी जिस पर अधिवक्ता का वश नहीं था जो क्षमनीय है।
5. यह कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14.3.2018 खारिज होने की जानकारी दिनांक 7.2.2019 से अन्दर मियाद 30 दिन अविलम्ब प्रस्तुत है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र पर न्यायशुल्क के टिकिट पूरे चस्पा है।
7. यह कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सुनने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायहित में आदेश दिनांक 14.3.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को पुनः दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

किशनगढ़

दिनांक :- 7/3/2019

संलग्न :-


वादीगण जरिये अधिवक्ता

1. शपथ पत्र वादीगण के अधिवक्ता
2. वादीगण अधिवक्ता का भर्ती तथा डिस्चार्ज प्रमाण पत्र

न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ

राजस्व वाद संख्या

/2017

शयोजी वगैरह

बनाम

अर्जुनराम वगैरह

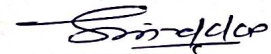
शपथ पत्र

मैं गोविन्द दास पुरोहित पुत्र स्व. श्री बनवारी दास पुरोहित जाति ब्राह्मण आयु 51 वर्ष निवासी पुराना शहर किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज. का रहने वाला हूँ एवं निम्नांकित शपथ पूर्वक बयान करता हूँ :-

1. यह कि प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के पेरा संख्या 1 से 7 में अंकित कथन मेरे निर्देशन में टाईप करवाये गये है जिनको बाद टंकण के मैने पढ़ लिया है जो सही है।
2. यह कि इस शपथ पत्र को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का एक अभिन्न अंग एवं हिस्सा माना जावे, समझा जावे एवं पढ़ा जावे।

किशनगढ

दिनांक :- 7/3/2019

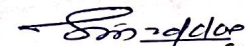

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त नाम शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र के पेरा संख्या 1 से 2 में अंकित कथन मेरी निजी जानकारी अनुसार सही एवं सत्य है।

किशनगढ

दिनांक :- 7/3/2019


सत्यापनकर्ता

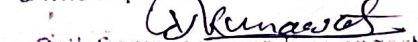
No. 121 Date 7/3/19 Time 12:56

Affidavanted before me by

Shri. गोविन्द दास पुरोहित

son of श्री बनवारी दास पुरोहित

who is

& who is p. 

Oath Commissioner, Kiशनगढ